न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 3 / 2026 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री रेवडीलाल मालव निवासी वार्ड नं. ग्राम पंचायत रेलगांव तह0 दीगोद,जिला कोटा राज0।

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 22/01/2026

1— श्री रेवडीलाल मालव निवासी वार्ड नं. ग्राम पंचायत रेलगांव तह0 दीगोद,जिला कोटा राज0 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 31.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलकक्टर कोटा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद से चाही गई सूचना के संबध में तहसीलदार दीगोद द्वारा उक्त सूचना के अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई न ही कोई कार्यवाही की गई है।

अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी को नियत तिथि के अन्दर मांगी गई सूचना की जानकारी की प्रमाणित सूचना देने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद को आदेश जारी करने की कृपा करे।

2— अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद जिला कोटा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबध में टिप्पणी/ रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया । अपीलार्थी को भी सुनवाई हेतु लिखा गया किन्तु अपीलार्थी वास्ते सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुए।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

3— लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट/ टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्रांक/भू0अ0/2025/18 दिनांक 24.12.2025 से वाछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु अति0 जिला कलक्टर कोटा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद को प्रार्थना पत्र अन्तरण कर अपीलार्थी को सूचना दिये जाने बाबत् लोक सूचना अधिकारी को लिखा गया। अपीलार्थी को भी इस संबध में सूचना दी गई। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद द्वारा अवगत करवाया की अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दीगोद को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा